(नियम 13)

General Rules (civil), Rule 103, Appendix 'B', From No. 9}

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़

पीठासीन अधिकारी दमयंती कंवर आर.ए.एस.

[illegible]र पुत्र गणपतराम जाति जाट निवासी चारण की ढाणी तन परसरामपुरा आदि।	–बनाम–	राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नवलगढ जिला झुन्झुनू आदि।
किस्म मुकदमा– दावा : घोषणार्थ, रिकार्ड दुरूस्ती ।		मु.नं. 164 / 2022 RCMS No

आदेश	कार्यवाही विवरण	पालना के क्रमांक व दिनांक
16.08.22	आज यह वाद वादी की ओर से वकील श्री सज्जन कुमार चाहर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर हो। तलबी प्रतिवादीगण जारी हो। प्रतिवादीगण तहसील क्षैत्र नवलगढ के बाहर होने पर तलबी जरिये रजिस्टर्ड डाक वादी के खर्चे पर जारी हो। पत्रावली आयन्दा दिनांक 21.09.2022 को पेश हो। सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू	
21/9/22	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी व राज० पेशकार उप० जवाब हेतु अवसर चाहा। पत्रावली वादे जवाब दिनांक 28/9/2022 को पेश हो। ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.) नवलगढ	
28/9/22	पत्रावली पेश हुई। वादी एवं वकील वादी को बार बार न्यायालय समय तक आवाज लगवाई गई, परन्तु इनकी ओर कोई भी उपस्थित नही होने के फलस्वरूप वाद वादी अदम पैरवी एवं अदम पैरवी के खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होगा दर्ज नम्बर से कम हो तथा वाद [illegible] दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जाया। ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.) नवलगढ़	

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.01.11 15:27:23 IST
Reason: SelfAttested